राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी–3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल पैलेसे होटल के पीछे

क्रमांक : एफ 16 (1) ( )वि.क./अनुप्रति/सान्याअवि/11/ 46553 जयपुर दिनांक : 16/06/2011

नि:शक्तजन अनुप्रति योजना संचालन नियम–2011

राजस्थान मूल के नि:शक्त युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित भारतीय सिविल सेवा परीक्षा एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (सीधी भर्ती) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यार्थियों, IIT, IIMS, राष्ट्रीय स्तर के मेडिकल कॉलेज इत्यादि शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों एवं राजकीय इंजिनियरिंग कॉलेज एवं मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन राशि दिये जाने हेतु राज्य सरकार निम्न प्रकार से नियम बनाती है :–

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रभावित क्षेत्र :–

i यह नियम नि:शक्तजन अनुप्रति योजना संचालन नियम 2011 कहलायेंगे।

ii यह नियम सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में प्रभावशील होंगे।

iii यह नियम 01 अप्रेल, 2011 से प्रभावी होंगे।

2. परिभाषाऍं :–

i राज्य सरकार, से तात्पर्य राजस्थान सरकार से है।

ii विभाग, से तात्पर्य सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार से है।

iii प्रमुख शासन सचिव, से तात्पर्य प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान से है।

iv आयुक्त/निदेशक से तात्पर्य आयुक्त/निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान से है।

v अभ्यार्थी से तात्पर्य वह नि:शक्त व्यक्ति जो संघ लोक सेवा आयोग की भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में, राजस्थान लोक सेवा आयोग की राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (सीधी भर्ती) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, IIT, IIMS, राष्ट्रीय स्तर के मेडिकल कॉलेज इत्यादि शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों एवं राज्य के राजकीय इंजिनियरिंग कॉलेज एवं मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों से है।

vi मूल निवासी से तात्पर्य उस नि:शक्त अभ्यार्थी से है जिसका जन्म राजस्थान राज्य में हुआ हो या राज्य में 15 वर्षो से लगातार रह रहा हो तथा अभ्यार्थी के पास सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र हो।

vii. नि:शक्त अभ्यर्थी का आशय 40 प्रतिशत या उससे अधिक नि:शक्तता का नि:शक्तता प्रमाण–पत्र धारी नि:शक्त से है।

viii. निःशक्तता प्रमाण–पत्र का तात्पर्य विभागीय अधिसूचना दिनांक 04.11.2010 द्वारा अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी/चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी 40 प्रतिशत या उससे अधिक प्रतिशत के निःशक्तता प्रमाण–पत्र से है।

ix. जिलाधिकारियों से तात्पर्य जिले में पदस्थापित उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से या विभागीय कार्य कर रहे उसके समकक्ष अधिकारी से है।

x. प्रभारी अधिकारी से तात्पर्य आयुक्तालय/निदेशालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग स्तर पर योजना की कार्यवाही देख रहे अधिकारी से है।

xi. संघ लोक सेवा आयोग से तात्पर्य अखिल भारतीय सेवाओं की परीक्षा आयोजित कराने वाले आयोग से हैं।

xii. राजस्थान लोक सेवा आयोग से तात्पर्य राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (सीधी भर्ती) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कराने वाले आयोग से हैं।

xiii. राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों का तात्पर्य विभाग द्वारा समय–समय पर सूचिबद्ध किये जाने वाले संस्थानों से है।

xiv. राजकीय इंजिनियरिंग कॉलेज/मेडिकल कॉलेज से तात्पर्य उन उच्च शिक्षण संस्थानों से है जो राज्य सरकार के है तथा सरकारी क्षेत्र में इंजिनियरिंग एवं मेडिकल की शिक्षा प्रदान करवाते हैं। यानी कि पूर्णतः राजस्थान सरकार के कॉलेज इस श्रेणी में आते हैं।

3. अनुदान सहायता :–

(अ) <u>संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा हेतुः–</u>

संघ लोक सेवा द्वारा आयोजित अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षा के विभिन्न स्तरों पर सफल होने वाले निःशक्त अभ्यार्थियों को निम्न प्रकार से प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की जायेगी।

(1) प्रारम्भिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर	**रूपये 65,000**
(2) मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर	**रूपये 30,000**
(3) साक्षात्कार में उत्तीर्ण (अन्तिम रूप से चयन) होने पर	**रुपये 5,000**

अभ्यार्थी को प्रार्थना पत्र के साथ इस आशय का घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा, कि वह इस राशि का उपयोग सिविल सेवा मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार की तैयारी हेतु ही करेगा। अभ्यार्थी के प्रार्थना पत्र में अंकित बैंक खाते के माध्यम से भुगतान किया जायेगा।

(ब) राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (सीधी भर्ती) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा हेतुः–

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (सीधी भर्ती) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के विभिन्न स्तरों पर सफल होने वाले निःशक्त अभ्यार्थियों को निम्न प्रकार से प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की जायेगी।

(1) प्रारम्भिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने परः–	**रूपये 25,000**
(2) मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने परः–	**रूपये 20,000**
(3) साक्षात्कार में उत्तीर्ण (अन्तिम रूप से चयन) होने पर	**रुपये 5,000**

अभ्यार्थी को प्रार्थना पत्र के साथ इस आशय का घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह इस राशि का उपयोग राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (सीधी भर्ती) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा की मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार की तैयारी हेतु ही करेगा। अभ्यार्थी के प्रार्थना पत्र में अंकित बैंक खाते के माध्यम से भुगतान किया जायेगा।

(स) राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा उत्तीण होने पर राष्ट्रीय संस्थानों में प्रवेश पर

संस्थान का नाम	देय अनुदान की राशि
IITs	प्रवेश परीक्षा में सफल होने तथा संस्थान में प्रवेश लेने के उपरान्त अभ्यर्थी को देय अनुदान की राशि 50,000 रुपये
IIMs	(1) Common Admission Test (CAT) में उत्तीर्ण होने पर अभ्यर्थी को Group Discussion तथा Interview की तैयारी हेतु देय राशि-रुपये 25,000 (2) Group Discussion तथा Personal Interview में सफल होने तथा संस्थान में प्रवेश लेने के उपरान्त देय अनुदान की राशि 25,000 रुपये
AIIMs	प्रवेश परीक्षा में सफल होने तथा संस्थान में प्रवेश लेने के उपरान्त अभ्यर्थी को देय अनुदान की राशि 50,000 रुपये
Indian Institute of Science, Bangalore	प्रवेश परीक्षा में सफल होने तथा संस्थान में प्रवेश लेने के उपरान्त अभ्यर्थी को देय अनुदान की राशि 50,000 रुपये
Indian Institute of Science and Applied Research, Kolkata and Bangalore	प्रवेश परीक्षा में सफल होने तथा संस्थान में प्रवेश लेने के उपरान्त अभ्यर्थी को देय अनुदान की राशि 50,000 रुपये
GOI / Medical Council of India के द्वारा प्रमाणित राष्ट्रीय स्तर के अन्य Medial Colleges	(1) प्रथम चरण की प्रवेश परीक्षा में सफल होने तथा संस्थान में प्रवेश लेने के उपरान्त अभ्यर्थी को देय अनुदान की राशि 20,000 रुपये (2) मुख्य परीक्षा में सफल होने तथा संस्थान में प्रवेश लेने के उपरान्त अभ्यर्थी को देय अनुदान की राशि 20,000 रुपये
All India Council for Technical Education के द्वारा प्रमाणित राष्ट्रीय स्तर के प्रौद्योगिकी संस्थान (NITs)	परीक्षा में सफल होने तथा संस्थान में प्रवेश लेने के उपरान्त अभ्यर्थी को देय अनुदान की राशि 40,000 रुपये
केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित National Law Universities	Common Law Admission Test (CLAT) में सफल होने तथा संस्थान में प्रवेश लेने के उपरान्त अभ्यर्थी को देय अनुदान की राशि 40,000 रुपये

(द) <u>राज्य के राजकीय इंजिनियरिंग एवं मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश परीक्षा उत्तीण कर राजकीय संस्थानों में प्रवेश पर</u>

10+2 स्कीम के अन्तर्गत 60 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त कर परीक्षा उत्तीण करने वाले निःशक्त छात्र–छात्राओं द्वारा राजकीय इंजिनियरिंग कॉलेजों/मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश लेने का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किये जाने पर 10,000/– रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जावेगी।

4. अनुदान की पात्रता :–

i यह राशि उन सफल अभ्यार्थियों को स्वीकृत की जायेगी जिनके माता–पिता/ अभिभावकों की वार्षिक आय (अभ्यार्थी की आय को सम्मिलित करते हुये यदि है तो) 2.00 लाख रुपये से अधिक न हो।(आय प्रमाण–पत्र सम्बन्धित क्षेत्र के तहसीलदार द्वारा जारी किया गया हो जो अधिकतम 6 माह से अधिक पुराना नहीं हो)

ii संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में सम्मिलित निःशक्त अभ्यार्थियों को उपरोक्तानुसार परीक्षाओं के उत्तीर्ण होने पर प्रथम एवं द्वितीय बार सफलता प्राप्त करने पर उल्लेखित राशि की 100 प्रतिशत राशि देय होगी। तृतीय बार 50 प्रतिशत राशि ही देय होगी। उसके बाद कोई सहायता नहीं दी जायेगी। राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों एवं राज्य के राजकीय मेडिकल/ इंजिनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश लेने वाले निःशक्त अभ्यर्थियों को एक बार ही राशि देय होगी।

iii यदि अभ्यार्थी भारतीय सिविल सेवा परीक्षा व राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (सीधी भर्ती) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा में एक ही वित्तीय वर्ष में दोनों परीक्षाओं में उतीर्ण होता है तो उसे एक ही योजना के अन्तर्गत लाभ दिया जायेगा। यह अभ्यार्थी द्वारा प्रस्तुत विकल्प पर निर्भर करेगा की व किस योजना के तहत लाभ लेना चाहता है।

iv जो अभ्यार्थी पूर्व से ही राजकीय सेवा में कार्यरत हैं, उन्हें इस योजना में राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (सीधी भर्ती) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के लिए लाभ नहीं दिया जायेगा।

5. अनुदान स्वीकृति की शर्ते :–

उपरोक्त राशि के लिये निम्न बिन्दुओं की पूर्ति करने पर अभ्यार्थी द्वारा सम्बन्धित जिले, जहाँ का अभ्यार्थी रहने वाला है, उस जिले के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। जिलाधिकारी द्वारा योजना के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों की प्रविष्टियों हेतु एक पंजिका का संधारण किया जायेगा। पात्रता की जॉच के उपरान्त सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृति जारी की जावेगी :–

i. निःशक्त अभ्यर्थी को विभागीय अधिसूचना दिनांक 04.11.2010 द्वारा अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी/चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी 40 प्रतिशत या उससे अधिक प्रतिशत के निःशक्तता प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करनी होगी।

ii. प्रार्थी राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो। (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करनी होगी)

iii अभ्यार्थी द्वारा प्रारम्भिक परीक्षा, प्रधान (मुख्य) परीक्षा उत्तीर्ण होने का एवं साक्षात्कार के बाद अन्तिम चयन होने का प्रमाण पत्र पेश करना होगा।

iv अभ्यर्थी द्वारा राष्ट्रीय स्तर के चयनित संस्थानों राज्य के राजकीय मेडिकल एवं इंजिनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश की पुष्टि हेतु प्रवेश शुल्क की रसीद अथवा संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणित पत्र की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

v अभ्यार्थी के माता–पिता/अभिभावक की अधिकतम आय (अभ्यार्थी की आय को सम्मिलित करते हुये यदि है तो) 2.00 लाख रुपये वार्षिक से अधिक न हो (आय प्रमाण–पत्र सम्बन्धित क्षेत्र के तहसीलदार/राजकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग के कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा जारी किया गया हो जो अधिकतम 6 माह से पुराना नहीं हो)

vi अभ्यार्थी को एक शपथ–पत्र देना होगा कि उसने यह राशि चालू वित्तीय वर्ष में पूर्व में प्राप्त नहीं की है, तथा यह उल्लेख करना होगा कि, उक्त प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने का यह उसका कौनसा (प्रथम/द्वितीय/तृतीय) प्रयास है। शपथ–पत्र में राजकीय सेवा में होने अथवा नहीं होने का विवरण भी देना होगा।

vii यदि प्रार्थना पत्र में अंकित कोई तथ्य असत्य पाया जाता हैं, तो योजनान्तर्गत स्वीकृत समस्त सहायता राशि एक मुश्त मय ब्याज के जमा कराने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित अभ्यार्थी का होगा।

6. आवेदन की समय सीमाः–

योजनान्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों को समयबद्ध तरीके से निस्तारण हेतु निम्नानुसार समय सीमा में अभ्यार्थी को आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा :–

i प्रारम्भिक परीक्षा का परिणाम घोषित होने के दिनांक से तीस दिन तक अभ्यार्थी द्वारा मूल आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा।

ii मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित होने के दिनांक से तीस दिन तक अभ्यार्थी द्वितीय किस्त हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेगा।

iii साक्षात्कार का परिणाम घोषित होने के दिनांक से तीस दिन तक तृतीय/अन्तिम किस्त हेतु अभ्यार्थी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेगा।

iv राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों एवं राज्य के राजकीय मेडिकल एवं इंजिनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के तीस दिन तक आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा।

निर्धारित समय सीमा के पश्चात् आवेदन करने पर शिथिलता आयुक्त/निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के स्तर पर ही दी जा सकेगी।

जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित अवधि में प्राप्त आवेदन पत्रों का एक माह में निस्तारण किया जायेगा।

7 योजना की मोनिटरिंग एवं बजट आवंटन :–

निःशक्त अभ्यार्थियों हेतु अनुप्रति योजना के क्रियान्वयन, मोनिटरिंग एवं जिलाधिकारियों को बजट आवंटन की कार्यवाही प्रभारी अधिकारी द्वारा की जायेगी।

8. नियमों का विनिर्णय :–

इन नियमों की व्याख्या प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा की जावेगी, वही अन्तिम एवं बाध्यकारी मानी जावेगी, किसी भी विवाद में प्रमुख शासन सचिव का निर्णय अन्तिम होगा।

ये नियम वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 161100595 दिनांक 09.06.2011 से अनुमोदित है।

निदेशक
एवं विशिष्ठ शासन सचिव

क्रमांक : एफ 16 (1) ( )वि.क./अनुप्रति/सान्याअवि/11/ 46554-688 जयपुर दिनांक : 16/06/2011

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशेषाधिकारी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय राज्यमंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव एवं आयुक्त निःशक्तजन, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक,, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. जिला कलेक्टर, ...
7. शासन उप सचिव, वित्त (आयोजना/व्यय-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को उनकी आई.डी. संख्या 161100595 दिनांक 09.06.2011 के क्रम मे।
8. जिला कोषाधिकारी, ...
9. संयुक्त निदेशक (योजना), मुख्यावास।
10. मुख्य लेखाधिकारी, मुख्यावास।
11. उपायुक्त आयुक्त निःशक्तजन, मुख्यावास।
12. अति. निदेशक (प्रशासन/छात्रावास)/उपनिदेशक(प्रशासन/सहायक निदेशक, छात्रवृत्ति/उप निदेशक पि.जाति, मुख्यावास।
13. समस्त अधिकारी, मुख्यावास ... ...
14. उपनिदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, ... ,
15. गार्ड फाईल।

निदेशक

नि:शुल्क

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
नि:शक्त अनुप्रति योजना में प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र

अभ्यार्थी जिस परीक्षा के लिए प्रोत्साहन राशि हेतु आवेदन कर रहा है उससे सम्बन्धित बॉक्स में सही √ का निशान लगावें।

भारतीय सिविल सेवा परीक्षा ☐

राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा(सीधी भर्ती) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा ☐

<table>
<tr><td>1.</td><td>प्रार्थी का नाम</td><td></td><td rowspan="4">राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित फोटो</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>पिता का नाम</td><td></td></tr>
<tr><td>3.</td><td>माता का नाम</td><td></td></tr>
<tr><td>4.</td><td>जन्म तिथि</td><td></td></tr>
<tr><td>5.</td><td>वर्तमान निवास स्थान का पता
दूरभाष न.
मोबाईल न.</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>6.</td><td>स्थाई पता</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>7.</td><td>शैक्षणिक योग्यता
(सत्यापित प्रति संलग्न करें)</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>8.</td><td>नि:शक्तता प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी) संलग्न करे</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>9.</td><td>मूल निवास (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करे)</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>10.</td><td>माता–पिता/अभिभावक की वार्षिक आय, अभ्यार्थी की आय यदि है तो को सम्मिलित करते हुये (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल आय प्रमाण पत्र संलग्न करे)</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>11.</td><td colspan="2">उत्तीर्ण प्रतियोगी परीक्षा का विवरण</td><td>भारतीय सिविल सेवा परीक्षा</td><td>राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (सीधी भर्ती) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा</td></tr>
<tr><td rowspan="6"></td><td rowspan="4">प्रथम प्रयास</td><td>(i) प्रतियोगी परीक्षा का वर्ष</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>(ii) परीक्षा का रोल नम्बर</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>(iii) परीक्षा में प्राप्त सफलता का विवरण [प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण/मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण/साक्षात्कार में उत्तीर्ण(अन्तिम चयन)] अंकित करे।</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>(iv) पूर्व में प्राप्त सहायता राशि का विवरण</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">द्वितीय प्रयास</td><td>(i) प्रतियोगी परीक्षा का वर्ष</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>(ii) परीक्षा का रोल नम्बर</td><td></td><td></td></tr>
</table>

		(iii) परीक्षा में प्राप्त सफलता का विवरण [प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण/मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण /साक्षात्कार में उत्तीर्ण(अन्तिम चयन)] अंकित करे।		
		(iv) पूर्व में प्राप्त सहायता राशि का विवरण		
	तृतीय प्रयास	(i) प्रतियोगी परीक्षा का वर्ष		
		(ii) परीक्षा का रोल नम्बर		
		(iii) परीक्षा में प्राप्त सफलता का विवरण [प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण/मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण /साक्षात्कार में उत्तीर्ण(अन्तिम चयन)] अंकित करे।		
		(iv) पूर्व में प्राप्त सहायता राशि का विवरण		
12.	अभ्यार्थी यदि राजकीय सेवा में है, तो सेवा का विवरण			
13.	अभ्यार्थी का जिस बैंक में खाता है, उस बैंक का नाम एवं खाता संख्या (बैंक पास बुक की फोटो प्रति संलग्न करें)		बैंक का नाम	
			खाता संख्या	

प्रार्थी के हस्ताक्षर

उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी के अनुसार पूर्णतः सही है, अगर कोई भी तथ्य असत्य पाया जाता है तो मेरी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी होगी तथा योजनान्तर्गत प्राप्त की गई समस्त राशि एक मुश्त मय ब्याज के विभाग को वापिस जमा कराने का मेरा उत्तरदायित्व होंगा तथा विभाग को मेंरे विरूद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही करने का भी अधिकार होगा।

प्रार्थी के हस्ताक्षर

संलग्न दस्तावेजः–

1. मूल निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।
2. निःशक्तता प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।
3. आय प्रमाण पत्र की मूल प्रति।
4. शैक्षणिक योग्यता अंकतालिका/प्रमाण पत्रों की फोटो प्रति।
5. प्रतियोगी प्रारम्भिक/मुख्य परीक्षा/साक्षात्कार उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र।
6. पूर्व में योजना का लाभ लेने/नहीं लेने व राजकीय सेवा में होने/न होने सम्बन्धी विवरण, तथा योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि का उपयोग सिविल सेवा परीक्षा/ राजस्थान राज्य एवं अधिनस्थ सेवा (सीधी भर्ती) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा एवं साक्षात्कार की तैयारी हेतु ही किया जायेगा, सम्बन्धी अभ्यार्थी का शपथ–पत्र।
7. बैंक पास बुक की फोटो प्रति।

कार्यालय के उपयोग हेतु

1.	प्रार्थी का नाम, जाति व पूर्ण पता अंकित करें।			
2.	प्राप्ति रजिस्टर में आवेदन की प्राप्ति का क्रमांक एवं दिनांक			
3.	आवेदन के पश्चात आवेदक को स्वीकृत राशि का विवरण एवं स्वीकृति दिनांक	प्रथम किस्त	द्वितीय किस्त	तृतीय (अन्तिम) किस्त
4.	आवेदक के बैंक खाते में राशि जमा कराने का दिनांक	प्रथम किस्त	द्वितीय किस्त	तृतीय (अन्तिम) किस्त
5.	यदि राशि स्वीकृत नहीं हुई तो कारणों का विवरण दिनांक सहित			

जिलाधिकारी
सामाजिक न्याय एवं अधिकारीता विभाग
के हस्ताक्षर एवं मोहर

नि:शक्तजन अनुप्रति योजनान्तर्गत प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र

प्रमाणित फोटो

1.	नाम :	....
2.	पिता का नाम :	....
3.	माता का नाम :	....
4.	जन्म तिथि :	....
5.	वर्तमान निवास स्थान का पता :	....
6.	स्थाई पता एवं दूरभाष नम्बर :	....
	(मोबाइल नम्बर यदि हो)	....
7.	शैक्षणिक योग्यता :	....
8.	नि:शक्तता प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें)	....
9.	मूल निवास (सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करें)	....
10.	माता–पिता/अभिभावकों की वार्षिक आय का विवरण (सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र एवं आयकर दाता नहीं होने का प्रमाण पत्र संलग्न करें)	....
11.	(अ) राजस्थान उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रायोजित परीक्षा का विवरण (परीक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र संलग्न करें)	....
	(ब) राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों तथा मेडीकल कॉलेजों में प्रवेश लेने का प्रमाण पत्र संलग्न करें।	....
	(स) प्रार्थी का आवंटित परीक्षा रोल नम्बर	....
12.	यदि पूर्व में इस योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त किया गया है, तो उसका विवरण दें।	....
13.	अभ्यार्थी यदि राजकीय सेवा में है तो सेवा का विवरण :	....

प्रार्थी के हस्ताक्षर

कार्यालय उपयोग हेतु

1.	प्रार्थी का नाम, जाति व पूर्ण पता अंकित करें	....
2.	प्रवेश के पश्चात् स्वीकृत राशि	....
3.	यदि राशि स्वीकृत नहीं हुई तो कारणों का विवरण	....

प्रभारी अधिकारी
(जिलाधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
के हस्ताक्षर एवं मोहर)

नोट : प्रत्येक जिले के प्रभारी अधिकारी द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित प्रारूप में विवरण निदेशालय में प्रत्येक माह भिजवाना सुनिश्चित करें।